खण्ड 10 संख्या 25

बिहार विधान-सभा

(भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 29 जुलाई, 1983 ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा-सचिव द्वारा विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश पढ़ा जाना	1-2
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति सम्बन्धी संकल्प [प्रस्तुत नहीं किया गया]	2
सरकारी विधेयक : बिहार वन उपज (व्यापार-विनियमन) विधेयक, 1983 (प्रवर समिति को समर्पित)	2-3
बिहार विधान परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983 : (स्वीकृत) ।	3—9 9—11
प्रवर समिति के लिये सदस्यों का मनोनयन सम्बन्धी प्रस्ताव : (स्वीकृत) :	
बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक, 1983 : (स्वीकृत) :	11— 17
सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श : ईख उत्पादकों की समस्या : (समाप्त)	17— 37
शून्य-काल की चर्चाएं :	38— 42
(क) टी० ओ० पी० के प्रभारी द्वारा अत्याचार :	
(ख) मुंगेर जिलान्तर्गत विद्युत् संकट :	
(ग) तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की छंटनी :	

(च) सेवा निवृत्त शिक्षक का पेंशन भुगतान।

श्री रामेश्वर सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री पी० मंत्री सहायक शिक्षक जे० के० उच्च विद्यालय बेगुसराय अपने पद से 1 मई, 1982 से सेवा निवृत्त हैं। ये एक शरीफ और प्रतिष्ठित आदमी हैं। डेढ़ साल के करीब होने चला है लेकिन उनका पेंशन उपादान एवं भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जिस कारण से भूखों मर रहे हैं चूंकि उनके परिवार का पूरा बोझ उन्हीं पर था और है। इस संबंध में क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक 4858—60 दिनांक 10 नवम्बर, 1982 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगुसराय को आदेश दिए कि इनका भुगतान अविलम्ब किया जाय तथा जिनके कारण अभी तक भुगतान होने में विलम्ब हुआ है उनका एक माह का वेतन रोक लिया जाय और उसके आगे की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजा जाय। इसी मवाल में उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्ध मार्ग पटना ने अपने ज्ञापांक 29419-40 दिनांक 11 दिसम्बर, 1982 के द्वारा अविलम्ब भुगतान का आदेश दिया। इस संबंध में विशेष पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना ने अपने ज्ञापांक 448 दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के द्वारा अविलम्ब भुगतान करने हेतु आदेश दिया है उक्त सभी आदेश पाने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। सेवा निवृत्त हुए काफी अधिक समय हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो पाना बहुत ही दुखद बात है। प्रधानाध्यापक जे० के० उच्च विद्यालय बेगुसराय तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगुसराय के कार्यालय के प्रधान लिपिक दोनों आपसी साँठ-गाँठ करके जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगुसराय से भी कार्य नहीं होने दे रहे हैं तथा इस कार्य के निष्पादन में भिन्न-भिन्न प्रकार से बाधा पैदा कर रहे हैं। ये लोग बहुत दिनों से इनको तंग कर रहे हैं।

भुगतान नहीं होने से इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। परिवार भूखों मर रहा है। अतः अनुरोध है कि इनकी कठिनाइयों को देखते हुए शीघ्र भुगतान कराने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(छ) सरकारी आदेश का कार्यान्वयन।

श्री व्रज किशोर सिंह—बिहार सरकार के निदेशानुसार राज्य के सरकारी कर्मचारीगण सप्तम विधान-सभा चुनाव 1983 सम्पन्न करने में लगे थे। दिनांक 21 फरवरी,

1983 की माननीय मुख्य मंत्री ने चुनाव में भाग लेने वाले कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां तथा प्रोन्नति में वरीयता देने की स्वीकृति दी थी। अभीतक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही की जानकारी नहीं होने से इन कर्मचारियों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धियां और प्रोन्नति में वरीयता दिलाने की व्यवस्था करें।

(ज) श्री दास का वेतन भुगतान।

श्री सत्यदेव नारायण आर्य—श्री सुरेश कुमार दास (अनुसूचित जाति) सहायक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन विक्रमगंज (रोहतास) को साढ़े चार वर्षों से वेतन का भुगतान विभागीय लापरवाही एवं मनमानापन के कारण नहीं किया गया है जिससे श्री दास सपरिवार भूखमरी के शिकार हो गये हैं। इन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति 4 अगस्त, 1982 को ही कर देना था उसे भी विभाग ने अबतक नहीं किया। बल्कि परेशान करने की नियत से विक्रमगंज से स्थानान्तरण कर इनकी सेवा आवास बोर्ड पटना में विभागीय अधिसूचना संख्या 2761 (एस०) दिनांक 30 जून, 1983 द्वारा कर दिया गया है। जहाँ इन्हें साढ़े चार वर्षों का बकाया वेतन भुगतान आवास बोर्ड नहीं करेगी। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह है कि श्री दास को वेतन भुगतान के बाद ही विक्रमगंज से विरमित किया जाय जिससे भूखमरी के शिकार होने से बच सकें।

(झ) जिला पंचायत पदाधिकारी द्वारा गैर-कानूनी कार्य।

श्री सूर्यदेव राय—दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज बिलासपुर के निर्वाचित मुखिया मुहम्मद नाजिम एक मुकदमा के सिलसिले में जेल गए हुए थे। जमानत पर जेल से छूटने के बाद जिला पंचायत पदाधिकारी दरभंगा द्वारा गैर-कानूनी ढंग से इन्हें अपने पद भार से वंचित कर उप मुखिया को पदभार दे दिया है।

अतः सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करते हुए कहना है कि अविलम्ब मुहम्मद नाजिम को पदभार देते हुए उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध कारवाई करें।

(ञ) युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में क्षोभ।

श्री जयकुमार पालित—दिनांक 24 जुलाई, 1983 को रात्रि आठ बजे बोरिंग रोड स्थित रेस्टूरेन्ट "पीजा हट" में पटना जिला के जिलाधिकारी श्री राजकुमार सिंह एवं